बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TINVAT NO-10011255025 CIN-U74110BR2012SGC018889

Website:www.bsptcl.inc.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं० – 2415 / पटना, दिनांक 23/12/21

T-III/Legal/DP-35001/2019

श्री गौतम प्रसाद बुद्धा, तदेन विधि पर्यवेक्षक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति विधि पर्यवेक्षक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध कर्तव्य की अवहेलना एवं घोर कदाचार के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–2038 दिनांक–29.06.2019 द्वारा श्री गौतम प्रसाद बुद्धा, तदेन विधि पर्यवेक्षक, कम्पनी मुख्यालय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

1. CWJC No. 14186/2015, MJC No.-36769/2017 अशोक कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में, विधि से संबंधित नीतिगत मामले वाली संचिका को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किए माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ दायर करने हेतु भेजी गयी, जो कम्पनी द्वारा निर्गत निदेश की स्पष्ट अवहेलना है।
2. वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के बावजूद, मामले की प्रति आपके स्तर से अत्यंत शिथिल एवं उदासीन रवैया अपनाया गया, जिस कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी हित के विरूद्ध विपरित आदेश पारित किया गया। आपका उक्त आचरण कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, उदासीनता एवं घोर अनुशासनहीनता का परिचायक है।

उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत विशेष सचिव, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संबंधी जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर अपने पत्रांक–05 दिनांक–16.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित कार्यालय को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री बुद्धा के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

तदोपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री बुद्धा के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए इस कार्यालय के संकल्प संख्या–550 दिनांक–15.02.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री गौतम प्रसाद बुद्धा, तदेन विधि पर्यवेक्षक, ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा दिनांक–28.02.2020 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री बुद्धा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्यतयः निम्न बातो का उल्लेख किया गया हैः–

- प्रतिशपथ पत्र दिनांक–19.02.2016 को दाखिल किया गया, जबकि मेरा पदस्थापन ट्रांसमिशन कम्पनी में दिनांक–25.05.2016 को हुआ।
- उक्त मामले से संबंधित संचिका में मेरे द्वारा सिर्फ एक बार दिनांक–05.08.2017 को ही कार्रवाई की गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध LPA दाखिल करने का मंतव्य दिया गया।
- अवमानावाद याचिका के वक्त मै BSPTCL मे पदस्थापित था, परन्तु मुझे उससे संबंधित संचिका कभी पृष्टाकिंत नही की गयी।

(कृ०पृ०उ०)

12

आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी समीक्षोपरांत पाया गया कि संदर्भित मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर करने में श्री बुद्धा की कोई भूमिका नहीं थी, तत्समय वे ट्रांसमिशन कम्पनी में पदस्थापित भी नहीं थे। अतः श्री बुद्धा के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतः श्री गौतम प्रसाद बुद्धा, तदेन विधि पर्यवेक्षक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति विधि पर्यवेक्षक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है।

आदेशः– श्री गौतम प्रसाद बुद्धा, तदेन विधि पर्यवेक्षक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति विधि पर्यवेक्षक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को इस आदेश की हस्ताक्षरित प्रति हस्तगत करा दी जाय।

आदेश से,

ह0 / –

(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0 / प्रशा0)

ज्ञापांक – ________ / पटना, दिनांक– ________ /

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / निदेशक (प्रशासन) के आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0 / प्रशा0)

ज्ञापांक – 2416 / पटना, दिनांक– 23/12 / 21

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक (मा0 सं0 / प्रशा0) / महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना / बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / उप विधि परामर्शी / डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर / लेखा पदाधिकारी (स्थापना / वेतन पर्ची), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना / बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना एवं श्री गौतम प्रसाद बुद्धा, तदेन विधि पर्यवेक्षक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति विधि पर्यवेक्षक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि इस आदेश की हस्ताक्षरित प्रति को कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

23.12

(राधा मोहन प्रसाद)
महाप्रबंधक (मा0 सं0 / प्रशा0)